समक्ष :- न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि.प्र.क्र. / R 2290 I/13

श्रीमति शकूरन बेगम बेवा अतहर बक्श उम्र 90 वर्ष,
निवासी किदवई वार्ड, कोठीबाजार बैतूल तह0 जि0 बैतूल
...आवेदिका/निगरानीकर्ता.

-बनाम-

1. नाहिद बक्श
2. जमील बक्श
3. हारून बक्श
4. बेनजीर बक्श

समस्त निवासी- सिल्वर आर्च बिल्डिंग, आनंद कोलीवाड़ा, बी. विंग-302, ओल्ड मुम्बई, पुणे रोड-मुम्ब्रा, जिला- ठाणे (महा.)
....अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज 14-6-13 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता-1959

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् एस.डी.ओ. महोदय, बैतूल द्वारा अपील प्र.क्र. 89 अ-6/2012-13 मौजा- सोमवारी पेठ, नाहिद बक्श वगैरह बनाम श्रीमति शकूरन बेगम वगैरह में पारित आदेश दिनांक-31.05.2013 के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपना यह निगरानी आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत किया गया है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2290-एक/2013 जिला बैतूल

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
13-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री कुवंरसिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अध्यक्ष	